

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

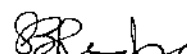
**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES**

NEW DELHI, THE 31.8. 1999

**NOTIFICATION
(INCOME TAX)**

S.O. No. In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "National Foundation for Teacher's Welfare (NFTW), Ministry of Human Resources Development" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.
- (iv) The assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.



भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3 [I] में प्रकाशित

भारत सरकार
विश्व मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

बड़े बिस्फी, बिनांक 30-8-89

अधिसूचना

1 अक्टूबर 1961

NOTIFICATION

आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 10

के खंड 123-ब के उपखंड 111 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "वेल्थ टैक्स फॉर टीवई वेल्थेयर [एच.एफ.टी.डब्ल्यू.] विविधता क्रि.सू.सं. रिवांरसेव डेवलपमेंट" को कर विचारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए विनियमित करने के अन्वय में करते हुए उक्त उपखंड के प्रयोगार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

111. कर-विचारिणी इसकी आय का हदोत्तम अथवा इसकी आय का हदोत्तम करने के लिए इसका संबंध पूर्णतया तथा अन्वयतया उक्त उद्देश्यों के लिए करना, जिसके लिए इसकी रक्षा की गई है ;
1111. कर-विचारिणी कमर करिन्तित कर-विचारण वर्षों से संमत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 15 में विविधित किसी एक अथवा एक से अधिक कम अथवा तरीकों से निम्न तरीकों से इसकी विधि देवर-नवाहिरात पर्वीवर, आय के रूप में प्राप्त तथा रक्ष-रक्षा में वैदिक अथवा के निम्न का विवेक नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा सकेगा ;
11111. यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाम हो, जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-विचारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अन्त में लेखा-पुरितकार नहीं रही जाती हों ;
111111. कर-विचारिणी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राप्ति के समान आय विवरणी नियमित रूप से वांछित करेगा ।

सम 43

1 अक्टूबर 1961

अध्यक्ष, भारत सरकार